



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन मवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-15/2016- 636 दिनांक : 12.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा ।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 161.231 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख तईस हजार एक सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट-20/2016-54/स्वी0 व0प0 दिनांक-17.01.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-20/2016-22/आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल **रु0 161.231 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख तईस हजार एक सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	145.605
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	15.626
कुल :-		161.231

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
09. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक

खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0बजट-15/2016— 636 दिनांक— 12.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ प्रादेशिक अंचल, चतरा/ प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ प्रादेशिक अंचल, देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0बजट-15/2016— 636 दिनांक— 12.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0बजट-15/2016— 636 दिनांक— 12.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			25440.73	2515.00	27955.73
i	ii	iv	v	vi	viii
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	30	7.632	0.755	8.387
2	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	45	11.448	1.132	12.580
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	30	7.632	0.755	8.387
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	45	11.448	1.131	12.579
योग :-		150	38.160	3.773	41.933

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			37050.68	4087.50	41138.18
i	ii	iv	v	vi	viii
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	50.00	18.525	2.044	20.569
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	60.00	22.230	2.453	24.683
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	30.00	11.115	1.226	12.341
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	30.00	11.115	1.226	12.341
5	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	30.00	11.115	1.226	12.341
6	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	30.00	11.115	1.226	12.341
7	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	30.00	11.115	1.226	12.341
8	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	30.00	11.115	1.226	12.341
योग :-		290.00	107.445	11.853	119.298

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

## वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर- 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	21.50	4942.85	0.00	4942.85	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	41.50	9540.85	0.00	9540.85	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2.00	459.80	0.00	459.80	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	9.16	2105.88	0.00	2105.88	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	25440.73	2515.00	27955.73	

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

**वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर**  
**योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण**

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

मजदूरी दर— 229.90 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	<b>वित्तीय वर्ष 2017-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	32.5	7471.75	0.00	7471.75	
2	वृक्षारोपण	हे०	55	12644.50		12644.50	
3	दो कोड़नी एवं निकोनी	हे०	62.5	14368.75	0.00	14368.75	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2	459.80	0.00	459.80	प्रति हे० औसत 5 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा			0.00			
5.1	30 हे० तक	हे०	9.16	2105.88		2105.88	
5.2	30 हे० से 60 हे० तक						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00	
<b>योग :-</b>			<b>161.16</b>	<b>37050.68</b>	<b>4087.50</b>	<b>41138.18</b>	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची





## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-15/2016/636

दिनांक - 12-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	30958	CTRFOR003  MADHUKAR  D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,852,500.00  रुपये अठारह लाख बावन हजार पाँच सौ
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	30960	CTRFOR002  RAVINDRA NATH MISHRA  D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	2,223,000.00  रुपये बाइस लाख तेइस हजार
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	30961	HZBFWL009  SUSHIL SOREN  DIV. FOREST OFFICE EAST	1,111,500.00  रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ
				5,187,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये इकावन लाख सित्तासी हजार

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. SECRETARY, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30964	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	1,111,500.00 रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ

State Scheme :

Central Scheme :

5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30965	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,111,500.00 रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ
---	---	-------	---	--

State Scheme :

Central Scheme :

6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30966	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,874,700.00 रुपये अठारह लाख चौहत्तर हजार सात सौ
---	---	-------	--	---

State Scheme :

Central Scheme :

योग:

4,097,700.00

क्रमिक योग:

रुपये बयानवे लाख चौरासी हजार सात सौ

9,284,700.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P. O. GIRIDIH WEST, HAZARIBAGH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	30967	GRHFWL001  ASHOK KUMAR DUBEY  D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	1,111,500.00  रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ
8	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	30969	GRHFWL003  SHYAM BIHARI PRASAD  DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	1,111,500.00  रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ
9	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	30971	BKRFOR001  P.R. NAIDU  D F O, BOKARO	1,144,800.00  रुपये ग्यारह लाख चवालीस हजार आठ सौ


योग:

3,367,800.00


क्रमिक योग:

रुपये एक करोड छब्बीस लाख बावन हजार पाँच सौ

12,652,500.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. DEPT. SECRETARY, RANCHI

  
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	30972	GRHFWL004  SR ARVIND KUMAR  D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	763,200.00  रुपये सात लाख तीरसठ हजार दो सौ
11	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	30974	HZBFWL007  SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,144,800.00  रुपये ग्यारह लाख चवालीस हजार आठ सौ
12	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	30982	CTRFOR003  MADHUKAR  D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	204,400.00  रुपये दो लाख चार हजार चार सौ


योग:

2,112,400.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड सेतालीस लाख चौसठ हजार नौ सौ

14,764,900.00



SHRI BHANU SINGH

ADDL P.O. BHAGWAN MISHRA

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	30984	CTRFOR002  RAVINDRA NATH MISHRA  D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	245,300.00  रुपये दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	30985	HZBFWL009  SUSHIL SOREN  DIV. FOREST OFFICE EAST	122,600.00  रुपये एक लाख बाइस हजार छः सौ
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	30986	HZBFWL005  RAJIV RANJAN  D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	122,600.00  रुपये एक लाख बाइस हजार छः सौ


490,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बावन लाख पचपन हजार चार सौ

15,255,400.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P&amp;D OFFICER, RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30988	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छः सौ
State Scheme : Central Scheme :				
17	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30989	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	198,100.00 रुपये एक लाख अठानवे हजार एक सौ
State Scheme : Central Scheme :				
18	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30990	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छः सौ
State Scheme : Central Scheme :				


योग:

443,300.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड छप्पन लाख अठानवे हजार सात सौ

15,698,700.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADD. P. S. D. DIV. ANAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30991	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छः सौ
State Scheme : Central Scheme :				
20	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30992	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	113,200.00 रुपये एक लाख तेरह हजार दो सौ
State Scheme : Central Scheme :				
21	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30993	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	75,500.00 रुपये पचहत्तर हजार पाँच सौ
State Scheme : Central Scheme :				

योग:

311,300.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड साहठ लाख दस हजार

16,010,000.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. POST OFFICE IN CHARGE

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789580323	30994	HZBFWL007	113,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHREE BHAGWAN	रुपये एक लाख तेरह हजार एक सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		MISHRA, I.F.S.	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		D.F.O., S. F. DIV.,	
	03 - प्रशासनिक व्यय		HAZARIBAG	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			

State Scheme :

Central Scheme :



योग:

113,100.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड इकसठ लाख तेइस हजार एक सौ

16,123,100.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P. O. SHREE BHAGWAN MISHRA